भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3275
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

3275. श्री छोटेलालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और सभी नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई नई योजना शुरू की है; और
(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है और निकट भविष्य में क्या सुधार होने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)** का लक्ष्य समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। इसके मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए), स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संचारी एवं गैर-संचारी रोग शामिल हैं।

फरवरी, 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर, 2022 तक समग्र देश में 1,50,000 **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)** की स्थापना करने की घोषणा की जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के नाम से जाना जाता था। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर किए गए अद्यतन के अनुसार, निवारक, प्रोत्साहक, उपरात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं के पूरे 12 पैकेज के साथ विस्तारित रेंज की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का रूप वदलकर, कुल 1,77,906 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों (सीएस) वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इस योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत किए गए उपायों में प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि स्वास्थ्य

प्रणालियों को वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-26 के लिए 10609 भवन रहित एएएम, 5456 शहरी एएएम, 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 621 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 33,081.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। 29 अक्टूबर, 2024 को, इस योजना का विस्तार वय वंदना कार्ड के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल करने के लिए किया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख पहल **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** (एबीडीएम) है, जिसे सितंबर, 2021 में लॉन्च किया गया था। एबीडीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर-संचालन क्षमता को सक्षम करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) तैयार करना है। एबीडीएम में देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करने की परिकल्पना की गई है। मिशन के मुख्य घटकों में नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए), स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) और आभा एप्लिकेशन शामिल हैं। एबीडीएम द्वारा निर्मित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में निर्बाध रूप से देखभाल की निरंतरता में सहायता का समर्थन करता है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना, (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। अब तक, इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के उन्नयन की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों, स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में वृद्धि की है। वर्ष 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है; स्नातक सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 हो गई हैं और स्नातकोत्तर सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

*****